न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी–श्री साबुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 57/12 वाद पत्र

उनवान

1–घीसुलाल पिता हीरा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर मृतक के बजाय :–
1/1–रामलाल पिता घीसूलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
1/2–गणेश लाल पिता घीसूलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
1/3–रोशन लाल पिता घीसूलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
1/4–मु0 प्यारी बेवा घीसूलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2–मांगू पिता जगन्नाथ कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3–डालु पिता जगन्नाथ कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4–गोपी पिता जगन्नाथ कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

वादीगण

बनाम

1–चतरी उर्फ चन्द्री पत्नि सोहन बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. हरीश टेलर – **अधिवक्ता वादीगण**

निर्णय

दिनांक 06.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प थला मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे साबिक खाता संख्या 77 में साबिक खसरा संख्या 734/1 रकबा 1 बीस्वा आचा घीसू पिता हीरा 1/4, मांगू, डालू, गोपी पिता जगन्नाथ 1/4 हि0ब0 कुमावत, चतरी पत्नि सूरजमल बलाई 1/2, खसरा नम्बर 734/2 रकबा 1 बीघा 18 बीस्वा भूमि घीसू पिता हीरा कुमावत सा0देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण मे जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 साथ प्रस्तुत है। तहसील रायपुर का नवीन भू प्रबन्ध हुआ जिसमें ग्राम थला का भी नवीन भू प्रबन्ध किया गया जिसमें उक्त साबिक खसरा नम्बर 734/1 के नवीन नम्बर 924 रकबा 0.01 है0 घीसू पिता हीरा 1/4, मांगू, डालु, गोपी पिता जगन्नाथ 1/4 कुमावत, चतरी पत्नि सूरजमल बलाई 1/2 व 734/2 के नवीन नम्बर 925 रकबा 0.41 है0 बनाया गया। प्रमाण मे खसरा मिलान व हाल जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 साथ प्रस्तुत है। राजस्व नक्शे मे खेतो की आकृति बनाते समय नवीन भू प्रबन्ध विभाग ने खसरा संख्या 925 व 943 के मध्य की रेखा को खसरा नम्बर 925 की तरफ झूकाकर बना दिया तथा खसरा नम्बर 924 मौके पर कुआ नही होते हुए भी लाईन डालकर अलग रकबा कायम कर दिया। खसरा नम्बर 944 जो कुआ दर्ज किया गया है वह ही कुआ पूर्व खसरा नम्बर 734/1 था। जिसके मिलान क्षैत्रफल मे 924 नम्बर डाले गये जो गलत है। खसरा नम्बर 944 होना चाहिए जिसको प्रतिवादी संख्या 01 चन्द्री पत्नि सोहन बलाई के नाम पर दर्ज कर दिया गया। एक ही कुए को दो जगह दर्शाया गया है जो गलत है। भू प्रबन्ध विभाग व उनके कर्मचारियो को राजस्व रेकार्ड मे फेर बदल करने का कोई विधीक अधिकार प्राप्त नही है फिर भी उन्होने उक्त कृत्य किया है जिसको दुरस्त करवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। कुआ गत भू माफ के खसरा नम्बर 734/1 रकबा 1 बिस्वा जिसके नम्बर 944 बने है इस खसरा नम्बर को केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर दिया गया है जिसमें हम वादीगण भी घीसू पिता हीरा 1/4, मांगू, डालु, गोपी पिता जगन्नाथ 1/4 हिस्सा बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है और इसी आशय की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ ही राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती करवाने के भी अधिकारी है वादीगण है। पूर्व साबिक नम्बर 734/1 जिसके मिलान क्षैत्रफल मे 924 नवीन नम्बर कायम कर अंकित किये गये है जबकि नवीन नम्बर 944 अंकित किये जाने चाहिए थे किन्तु नवीन आराजी संख्या 924 मौके पर कुआ नही होते हुए भी लाईन डालकर अलग रकबा कायम कर दिया जिसको कुआ नही होने से नवीन खसरा नम्बर 925 की किस्म के

2

[illegible] ही दर्ज करवाने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के हम वादीगण अधिकारी है। मेरे को इसकी जानकारी दिनांक 04.07.2012 को पटवारी हल्का थला से जब नकले प्राप्त की तो इसकी जानकारी प्राप्त हुई और उसी तारीख को इन वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त हो गया और वाद पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 19.07.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण मे राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 मे भी नोटिस जारी किये गये। जिसमे वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित हूए तथा वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 का पेश किया जो स्वीकार किया जाकर शामिल फाईल किया गया। तथा वादीगण के अधिवक्ता द्वारा संशाधित टाईटल पेश किया जो भी शामिल फाईल किया गया। वादीगण के ओर से साक्ष्य वादी मे वादी गोपीलाल का शपथ पत्र पर बयान प्रस्तुत किये गये। जो पी.डबल्यू एक है। जो शामिल पत्रावली किया गया है। वादीगण की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है जो प्रदर्श 1 से प्रदर्श 6 है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एकतरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे स्थित साबिक आराजी संख्या 734/1 गै0मु0 आचाह जिसके नवीन नंबर 944 रकबा 0.01 है में खातेदार घीसू पिता हीरा कूमावत मृतक के बजाय रामलाल, गणेशलाल रोशनलाल पिता घीसलाल कूमावत व प्यारी बेवा घीसूलाल कूमावत 1/4, मांगू, डालू गोपी पिता जगन्नाथ 1/4 हिस्सा बराबर तथा चंद्री पत्नि सोहन लाल बलाई 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है तथा ग्राम थला के नवीन राजस्व नक्शे मे पुर्वानुसार दर्ज कर दुरूस्त किया जाना व खसरा नंबर 924 मौके पर कुआ नही होने से इसकी किस्म खसरा नंबर 925 के अनुसार दर्ज किया जाना भी न्यायोचित प्रतित होता है। तथा उक्तरानुसार नवीन नक्शे मे भी इन्द्राज दुरूस्ती कराया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूॅ। अतः

आदेश

ग्राम थला तहसील रायपुर के बेरून हलका आबादी मे स्थित साबिक आराजी संख्या 734/1 गै0मु0 आचाह जिसके नवीन नंबर 944 रकबा 0.01 है में खातेदार घीसू पिता हीरा कूमावत मृतक के बजाय रामलाल, गणेशलाल रोशनलाल पिता घीसूलाल कूमावत व प्यारी बेवा घीसूलाल कूमावत 1/4, मांगू, डालू गोपी पिता जगन्नाथ 1/4 हिस्सा बराबर तथा चंद्री पत्नि सोहन लाल बलाई 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर दुरूस्ती किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा ग्राम थला के नवीन राजस्व नक्शे मे पुर्वानुसार दर्ज कर दुरूस्त किया जाकर व खसरा नम्बर 924 मौके पर कुआ नही होने से इसकी किस्म खसरा नम्बर 925 के अनुसार दर्ज किया जाने का आदेश भी दिया जाता है तथा उक्तानुसार नवीन नक्शे मे भी इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

06/6/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 06.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा